प्रश्न: भारतीय कृषि क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्सिडियों एवं सहायताओं की चर्चा कीजिए। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कृषि पर समझौते (Agreement on Agriculture) से संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिए। [UPSC 2026]

"Discuss the different types of subsidies and support provided by the Government of India to the agricultural sector. Examine the related issues pertaining to the Agreement on Agriculture of the World Trade Organisation (WTO).

कृषि सब्सिडी एवं WTO : संक्षिप्त रूपरेखा

टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

- ✓ आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा: देश की ~45-50% आबादी की आजीविका कृषि पर आधारित।
- ✓ वैश्विक व्यापार विवाद: भारत की कृषि नीतियाँ WTO के कृषि समझौते के तहत बहुपक्षीय विवादों का सामना कर रही हैं।

प्रश्न के कीवर्ड्स

- ✓ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी
- ✓ WTO का कृषि समझौता
- ✓ अंबर बॉक्स एवं 'डी मिनिमस' सीमा
- ✓ सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग एवं पीस क्लॉज़
- ✓ ग्रीन बॉक्स एवं नीतिगत पुनर्गठन

1. भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियाँ

- **(A) प्रत्यक्ष सहायता:**
  - ✓ **आय सहायता**
  - ✓ **फसल बीमा**
  - ✓ **ब्याज राहत**
- **(B) अप्रत्यक्ष सहायता:**
  - ✓ **उर्वरक सब्सिडी**
  - ✓ **सिंचाई व बिजली**
  - ✓ **बीज सब्सिडी**
  - ✓ **मूल्य समर्थन:**

2. WTO के कृषि समझौते (AoA) से संबंधित मुद्दे

- ✓ 'डी मिनिमस' सीमा (10%)
- ✓ 1986-88 का पुराना आधार वर्ष
- ✓ पीस क्लॉज़ की अस्थायी प्रकृति
- ✓ ग्रीन बॉक्स की विषमता
- ✓ सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग

3. आगे की राह

- ✓ नीतिगत पुनर्गठन
- ✓ निवेश
- ✓ बहुपक्षीय कूटनीति
- ✓ विविधीकरण व बाजार सुधार
- ✓ व्यापार सुरक्षा

निष्कर्ष

कृषि सब्सिडी 80 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा व आजीविका का सुरक्षा कवच है। भारत को WTO में G-33 के साथ PSH के स्थायी समाधान हेतु कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए और घरेलू स्तर पर सब्सिडियों को अंबर बॉक्स से 'ग्रीन बॉक्स' की ओर पुनर्गठित करना चाहिए।

भारतीय कृषि लगभग 45-50% आबादी को आजीविका प्रदान करने के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। **कृषि सब्सिडी** सरकार द्वारा किसानों या कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली एक वित्तीय/आर्थिक सहायता है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन लागत को कम करना, किसानों की आय की रक्षा करना, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।ये सब्सिडियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मंच पर, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौते के तहत बहुपक्षीय विवादों का कारण बनती रही हैं।

1. भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि सब्सिडियाँ एवं सहायता

भारत में कृषि सहायता को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

(A) प्रत्यक्ष सहायता: इसमें सरकार द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की जाती है या प्रत्यक्ष राहत दी जाती है।

- **आय सहायता:**
  उदा: PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) - इसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की नकद वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है।
- **जोखिम एवं फसल बीमा :**
  उदा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर सुरक्षा दी जाती है, जिसमें किसान द्वारा देय प्रीमियम दर बेहद कम (खरीफ: 2%, रबी: 1.5%, वाणिज्यिक फसलें: 5%) रखी गई है और शेष प्रीमियम सरकार वहन करती है।
- **ब्याज राहत सहायता:**
  उदा: किसान क्रेडिट कार्ड- इसके माध्यम से 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर 2% ब्याज छूट तथा समय पर भुगतान करने पर 3% अतिरिक्त छूट दी जाती है।

(B) अप्रत्यक्ष सहायता: यह सहायता कृषि इनपुट (लागत) के मूल्यों को कम करके दी जाती है ताकि उत्पादन क्षमता बनी रहे।

- **उर्वरक सब्सिडी:**
  उदा: यूरिया को अत्यधिक नियंत्रित एवं रियायती मूल्य पर बेचना तथा फास्फेट एवं पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी प्रणाली लागू करना।
- **सिंचाई एवं बिजली सब्सिडी:**
  उदा: राज्यों द्वारा नलकूप और पंपसेट चलाने के लिए रियायती या मुफ्त बिजली देना तथा नहर प्रणाली से पानी का न्यूनतम शुल्क लेना।
- **बीज सब्सिडी:**
  उदा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों एवं प्रमाणित बीजों पर छूट।
- **मूल्य समर्थन प्रणाली:**
  उदा: 22/23 फसलों के लिए घोषित **न्यूनतम समर्थन मूल्य** तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा PDS हेतु अन्न की खरीद।

2. WTO के कृषि समझौते (AoA) से संबंधित मुद्दे

WTO का **Agreement on Agriculture (AoA)** अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार को निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से तीन मुख्य स्तंभों पर काम करता है: मार्केट एक्सेस, घरेलू सहायता और निर्यात प्रतिस्पर्धा।भारत की सब्सिडी संरचना WTO के 'घरेलू सहायता' वर्गीकरण के तहत निम्नलिखित जटिलताएँ पैदा करती है:

(क) 'डी मिनिमस सीमा' का उल्लंघन (अंबर बॉक्स)

- अंबर बॉक्स में व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडियाँ (जैसे MSP और इनपुट सब्सिडी) आती हैं।विकासशील देशों के लिए अंबर बॉक्स सब्सिडी कुल कृषि उत्पादन मूल्य के **10% (De Minimis limit)** से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुद्दा: भारत में बढ़ते MSP और विशाल उर्वरक सब्सिडी के कारण इस 10% की सीमा से बाहर जाने का जोखिम लगातार बना रहता है।

(ख) 1986-88 का पुराना आधार वर्ष:

- WTO में सब्सिडी की गणना के लिए अंतरराष्ट्रीय संदर्भ मूल्य **वर्ष 1986-88** के स्थिर मूल्यों पर निर्धारित है।

  मुद्दा: मुद्रास्फीति के बावजूद 1986-88 का आधार वर्ष इस्तेमाल करने के कारण भारत द्वारा दिया जाने वाला MSP कागजों पर बहुत बड़ा दिखता है, जबकि वास्तव में यह बाजार दरों के समकक्ष ही होता है।

(ग) पीस क्लॉज़ की अस्थायी प्रकृति:

- वर्ष 2013 के बाली सम्मेलन में **पीस क्लॉज़** पर सहमति बनी थी, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण के लिए 10% सब्सिडी सीमा पार करने पर भी कोई देश कानूनी कार्रवाई से बच सकता है।

  मुद्दा: पीस क्लॉज़ केवल अस्थायी राहत देता है और इसके साथ कठोर प्रकटीकरण (data disclosure) की शर्तें हैं। भारत इस प्रावधान का **स्थायी समाधान** चाहता है।

(घ) विकसित बनाम विकासशील देशों की सब्सिडी में विषमता (ग्रीन बॉक्स विकृति):

- अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देश अपने किसानों को **ग्रीन बॉक्स** (जैसे प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण, पर्यावरण संरक्षण व R&D सहायता) के माध्यम से अरबों डॉलर देते हैं, जिस पर WTO में कोई सीमा नहीं है।

  मुद्दा: विकसित देश अपने विशाल संसाधनों से ग्रीन बॉक्स के नाम पर भारी धन आवंटित करते हैं, जो वैश्विक कृषि बाजारों में कीमतों को नीचे गिराता है और भारत जैसे विकासशील देशों के छोटे किसानों के हितों को प्रभावित करता है।

(च) सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग एवं खाद्य सुरक्षा:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक आबादी को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने हेतु भारत को MSP पर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खरीद करनी पड़ती है।

  मुद्दा: विकसित देश इस खरीद-प्रणाली को व्यापार-विकृत करने वाला मानते हैं, जबकि भारत के लिए यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन का मूलभूत स्तंभ है।

<u>आगे की राह</u>

1. नीतिगत पुनर्गठन
   - **अंबर बॉक्स से ग्रीन बॉक्स की ओर:** इनपुट सब्सिडी (उर्वरक, बिजली) को धीरे-धीरे घटाकर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (PM-किसान का विस्तार) बढ़ाना, जो WTO की 10% सीमा से मुक्त है।
   - **उर्वरक सब्सिडी में DBT:** सब्सिडी कंपनियों को देने के बजाय सीधे किसानों के खातों में प्रति एकड़/फसल हस्तांतरित करना।
2. अवसंरचना एवं अनुसंधान में निवेश
   - **ग्रीन बॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर:** कृषि अवसंरचना कोष से कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स का विस्तार।
   - **जलवायु-अनुकूल R&D:** सूखा/बाढ़ रोधी बीजों, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) और डिजिटल एग्री-टेक में निवेश बढ़ाना।
3. WTO में बहुपक्षीय कूटनीति
   - **PSH पर स्थायी समाधान:** G-33 और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर सार्वजनिक भंडारण (PSH) के लिए बाली 'पीस क्लॉज़' की जगह स्थायी और कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त करना।
   - **1986-88 आधार वर्ष का संशोधन:** बाह्य संदर्भ मूल्य की गणना में पिछले 4 दशकों की मुद्रास्फीति को जोड़ने हेतु बहुपक्षीय वार्ता का नेतृत्व करना।

4. फसल विविधीकरण एवं बाजार सुधार

- **MSP निर्भरता कम करना:** केवल गेहूं-चावल के बजाय तिलहन, दलहन और बागवानी को बढ़ावा देना।
- **फूड प्रोसेसिंग एवं प्राइवेट लिंकेज:** कृषि-प्रसंस्करण और एग्री-स्टार्टअप्स के जरिए किसानों को सीधे मूल्य श्रृंखला से जोड़ना।

5. व्यापार सुरक्षा एवं संस्थागत सुधार

- **स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म:** वैश्विक दरों में गिरावट या डंपिंग से देशी किसानों को बचाने हेतु SSM लागू करवाना।
- **अपीलीय निकाय का पुनरुद्धार:** WTO के निष्क्रिय पड़े **अपीलीय निकाय** को पुनः सक्रिय करने हेतु दबाव बनाना।

निष्कर्षतः कृषि सब्सिडी भारत के लिए केवल एक व्यापारिक विषय नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और 80 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का मूलभूत सुरक्षा कवच है। इसलिए, भारत को एक तरफ WTO में 'ग्लोबल साउथ' का नेतृत्व करते हुए सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान तथा 1986-88 के आधार वर्ष के संशोधन हेतु कूटनीतिक दबाव बनाए रखना चाहिए। दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर सब्सिडियों का पुनर्गठन कर अंबर बॉक्स (इनपुट सब्सिडी) से 'ग्रीन बॉक्स' (R&D) की ओर स्थानांतरित होना चाहिए।

JOIN US-RESULT MITRA